

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 77/१०१९

तारीख ४-५-१९

01. मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. मांगीलाल पिता हरिराम जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. बेनी कुमार पिता छोटूलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. विमला पत्नि बेनी कुमार जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भोमा पत्नि छोटूलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 14-5-19


प्रार्थना पत्र मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 116 पर अंकित आराजी संख्या 133, 134, 1018/132 कुल किता 3 रकबा 9-06 बीघा भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा खडीपुर पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 116 पर अंकित आराजी संख्या 133, 134, 1018/132 कुल किता 3 रकबा 9-06 बीघा भूमि बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा